न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओम प्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस

225RTA2024-177(GCMS2024-311)

1. हडमानराम पुत्र जोधाराम विश्नोई
2. हरभज़नराम पुत्र जोधाराम विश्नोई
   निवासीगण ग्राम बाना का बास
   तिंवरी, जिला जोधपुर

--- **अपीलाण्ट्स**

ब

ना

म

1. जेताराम पुत्र हरलाल विश्नोई
2. अशोक पुत्र भगाराम विश्नोई
3. ओमप्रकाश पुत्र भगाराम विश्नोई
4. गोमती पुत्री जोराराम विश्नोई
5. गंगा पुत्री जोराराम विश्नोई
6. हाउ पुत्री जोराराम विश्नोई
7. टीपु पुत्री जोराराम विश्नोई
8. तुलछाराम पुत्र जगमालराम विश्नोई
9. भेराराम पुत्र जगमालराम विश्नोई
10. राकेश पुत्र सोडाराम विश्नोई (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता जडाव)
11. प्रकाशकुमार पुत्र सोडाराम विश्नोई (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता जडाव)
12. जडाव पत्नी सोडाराम विश्नोई
13. सुरती पत्नी जगमालराम विश्नोई
14. जैराराम पुत्र काछबाराम विश्नोई
15. सुखाराम पुत्र हरलाल विश्नोई
16. भगवानराम पुत्र हरलाल विश्नोई
17. श्यामलाल पुत्र हरलाल विश्नोई
    निवासीगण बाना का बास
    तिंवरी, जिला जोधपुर
18. निरमा पुत्री नारायणराम विश्नोई
    निवासी रावतबेरा डाबडी
    तहसील ओसियां, जिला जोधपुर

----- **रेस्पो.**

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध आदेश न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां दिनांक 24 जुलाई 2024 प्रकरण संख्या 21/2020 हडमानराम बनाम जेताराम व अन्य

--- 0 ---

उपस्थित -

- श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
- श्री एल.आर.पूनिया, अधिवक्ता-रेस्पो.

नि र्ण य

दिनांक : 14 अक्तूबर, 2024

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा प्रकरण संख्या 21/2020 हडमानराम बनाम जेताराम आदि में पारित आदेश दिनांक 24 जुलाई 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 01 अगस्त 2024 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स ने आराजी खसरा संख्या 116/4 रकबा 0.1862 हैक्टेयर, खसरा संख्या 116/3 रकबा 0.3723 हैक्टेयर, खसरा संख्या 116/7 रकबा 0.3723 हैक्टेयर, खसरा संख्या 116 रकबा 2.2662 हैक्टेयर, खसरा संख्या 116/11 रकबा 0.1619 हैक्टेयर, खसरा संख्या 116/12 रकबा 0.1619 हैक्टेयर, खसरा संख्या 116/2 रकबा 2.6062 हैक्टेयर, खसरा संख्या 116/13 रकबा 0.1457 हैक्टेयर, खसरा संख्या 116/1 रकबा 1.9479 हैक्टेयर व खसरा संख्या 116/9 रकबा 0.1149 हैक्टेयर वाके मौजा बाना का बास तहसील तिंवरी जिला जोधपुर के संबंध में नियमित राजस्व वाद स्थायी निषेधाज्ञा व तरमीम दुरुस्ती पेश किया जाना जाहिर करते हुए मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 24 जुलाई 2024 को खारिज कर दिया गया। जिसके खिलाफ आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पो. संख्या एक के पक्ष में खातेदारी अधिकार बख्शीशनामा के जरिये प्राप्त हुए, उस बख्शीशनामा में खसरा संख्या 116 की भूमि उसे बख्शीशनामा की गयी थी, उसमें दर्ज पास-पडौस से विपरीत वर्तमान सेग्रीगेशन की कार्यवाही में तरमीम करवा ली गयी, जिससे मौके पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गयी। वर्तमान तरमीम का फायदा उठाकर रेस्पो. मौके पर अपीलाण्ट्स के कब्जे वाली भूमि पर निर्माण करने पर आमदा है और मौके की स्थिति में परिवर्तन करना चाहते है। मामले में प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु अपीलाण्ट्स के पक्ष में होते हुए भी विचारण न्यायालय द्वारा स्थगन प्रार्थनापत्र जरिये अपीलाधीन आदेश खारिज कर दिया गया, जो न्यायोचित नहीं है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि वर्ष 1976 में विभाजन हुआ, पूर्व में सभी का संयुक्त कब्जा था, वर्तमान सेग्रीगेशन बाबत बाद में पता चला। वर्ष 2018 से अस्थायी निषेधाज्ञा प्रभावी थी, अतः वर्ष 2020 में करेक्शन करवाया। रेस्पो. द्वारा मौके पर अपीलाण्ट्स के कब्जे वाली भूमि पर निर्माण कार्य कर लिया जाता है अथवा अन्य किसी प्रकार से मौके की स्थिति में परिवर्तन कर दिया जाता है तो निश्चय ही अपीलाण्ट्स को अपूरणीय क्षति एवं गम्भीर असुविधा होगी। अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और कथन किया कि मूल खसरा संख्या 116 पूर्व में जोधाराम पुत्र गुलाराम, सुजाराम, रामचन्द पिसरान सालूराम, काछबा नरसिंगराम पुत्र भारता, गोपू पुत्र हणुताराम की सामलाती खातेदारी का खेत था जिसका दिनांक 12 दिसम्बर 1976 को आपसी सहमति से तहसीलदार के समक्ष बंटवारा हुआ और सुजाराम पुत्र सालूराम के हिस्से में खसरा संख्या 116 रकबा 18 बीघा 14 बिस्वा भूमि [सरकारी गोवा(मार्ग) जो वर्तमान में उस पर बाना चौराहा से वानावास जाने वाली सडक चलती है], पर दी गयी। उक्त भूमि सुजाराम ने पंजीबद्ध

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बख्शीशनामा दिनांक 23 फरवरी 1977 द्वारा रेस्पो. संख्या एक जेताराम को बख्शीश की, तब से उक्त भूमि पर रेस्पो. संख्या एक का कब्जा काश्त चला आ रहा है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भूमि अवाप्त की जाकर ओसियां से चैराई आवागमन की सडक राजस्व नक्शे में वर्ष 2001 में रेस्पो. संख्या एक की उक्त खातेदारी भूमि में से निकाली गयी है जिसका वर्तमान खसरा संख्या 116/5 है जबकि प्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स की भूमि उक्त सडक पर आती ही नहीं है। अपीलाण्ट्स-प्रार्थीगण को बंटवारे में खसरा संख्या 114 से लगती भूमि दी गयी थी। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स द्वारा मिथ्या तथ्यों पर आधारित प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है जिसे खारिज करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश न्यायोचित पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट्स सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया गया। जिससे मूल खसरा संख्या 116 के पूर्व सहखातेदारान के मध्य आपसी रजामंदी के आधार पर तहसीलदार के समक्ष दिनांक 12 दिसम्बर 1976 को बंटवारा होना, बंटवारे में सुजाराम पुत्र सालूराम को भूमि खसरा संख्या 116 रकबा 18 बीघा 14 बिस्वा सहित अन्य खसरान की भूमि अपने पौत्र रेस्पो. संख्या एक के पक्ष में जरिये पंजीबद्ध बख्शीशनामा दिनांक 23 फरवरी 1977 बख्शीश किया जाना प्रकट होता है। उक्त पंजीबद्ध बख्शीशनामा में बख्शीश की गयी भूमि के पास-पडौस भी अंकित किये गये है। पक्षकारान के स्वत्व एवं अधिकारों का विनिश्चयन मूल वाद में साक्ष्य सुनवाई के बाद समुचित विवेचन एवं विश्लेषण कर किया जाना है। वर्तमान अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा 47 वर्ष पूर्व हुए बंटवारे के आधार पर राजस्व रिकार्ड में हुए इन्द्राजात, वर्तमान में मौके पर निर्मित नलकूप व रहवासीय मकान आदि की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपीलाण्ट्स-प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 24 जुलाई 2024 को खारिज करने में किसी प्रकार की कोई अनियमितता अथवा विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलाण्ड्स स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पायी जाती है जो तदनुसार खारिज की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24 जुलाई 2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14 अक्तूबर 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर